संख्या–329 / 61–2011

प्रेषक,

उमेश सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊ दिनांक 30 जून, 2011

विषयः–मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में कार्यरत अनुभाग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव एवं सहायक समीक्षा अधिकारियों के वेतनमान को उच्चीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर सचिवालय प्रशासन अनुभाग–1(अधि0) के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2866 / बीस–1–ई–09–516(1) / 96टी0सी0–7 दिनांक 27 नवम्बर, 2009, कार्यालय ज्ञाप संख्या–489 / बीस–1–ई–2010–513 / 2000टी0सी0–9(ए) दिनांक 26 मार्च, 2010 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–2865 / बीस–1–ई–09–यू0ओ0–43 / 09 दिनांक 27 नवम्बर, 2009 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में कार्यरत अनुभाग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव एवं सहायक समीक्षा अधिकारी, जिन्हें उत्तर प्रदेश सचिवालय के समान वेतनमान अनुमन्य है, के वेतनमान को निम्नानुसार उच्चीकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(अ) अनुभाग अधिकारी के पदों पर वेतनमान रू0–6500–10500 (दिनांक–01.01.2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 रू0–9300–34800 व ग्रेड वेतन रू0–4200) के स्थान पर उच्चीकृत वेतनमान रू0–7500–12000 (दिनांक–01.01.2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 रू0–9300–34800 व ग्रेड वेतन रू0–4800) दिनांक–01.01.2006 से प्रकल्पित आधार पर अनुमन्य कराते हुए इसका वास्तविक लाभ दिनांक–01.12.2008 से अनुमन्य होगा।

(ब) अनुभाग अधिकारी हेतु दिनांक–28.03.2006 से प्रभावी नॉन–फंक्शनल वेतनमान की वर्तमान व्यवस्था को यथावत बनाये रखते हुए नॉन–फंक्शनल वेतनमान रू0–8000–13500 के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 रू0–15600–39100 व ग्रेड वेतन रू0–5400 अनुमन्य होगा।

(स) समीक्षा अधिकारी (पूर्व पदनाम प्रवर वर्ग सहायक) तथा अपर निजी सचिव के पद पर दिनांक–01.01.2006 से अनुमन्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0–4200 के स्थान पर वेतन बैण्ड–2 में ग्रेड वेतन रू0–4600 अनुमन्य होगा।

उक्त संशोधित ग्रेड वेतन में संबंधित कार्मिक का वेतन शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1318 / 10–59(एम) / 2008 दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 (यथासंशोधित) की व्यवस्थानुसार निर्धारित किया जायेगा। उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन

निर्धारण हेतु प्रस्तुत विकल्प के अनुसार संबंधित कार्मिक का वेतन विकल्प की तिथि को पुनरीक्षण पूर्व अनुमन्य वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर के आधार पर सचिवालय प्रशासन अनुभाग–1(अधि0) के कार्यालय ज्ञाप संख्या–489/बीस–1–ई–2010–513/2000टी0सी0–9(ए) दिनांक 26 मार्च, 2010 के साथ संलग्न तालिका–1 अथवा 2 जैसी भी स्थिति हो के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

(द) अवर वर्ग सहायक (परिवर्तित पदनाम सहायक समीक्षा अधिकारी) के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0–4500–7000 के स्थान पर रू0–5000–8000 का उच्चीकृत वेतनमान दिनांक–01.01.2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 (रू0–9300–34800) एवं ग्रेड वेतन रू0–4200 दिनांक–27.11.2009 से अनुमन्य होगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–वे0आ0–2–702/दस–2011 दिनांक–28.06.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

उमेश सिन्हा
प्रमुख सचिव।

संख्याः–329(1)/61–2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2
3– वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–12
4– निदेशक अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, उत्तर प्रदेश शासन।
वित्त विभाग, सचिवालय लखनऊ।
5– सचिवालय प्रशासन अनुभाग–1(अधि0), उत्तर प्रदेश शासन।
6– लेखाकार/कैशियर, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7– वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8– बजट सहायक, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9– वरिष्ठ विशेषज्ञ, सिस्टम, एन0आई0सी0, नवीन भवन, उ0प्र0 सचिवालय। (एक सी0डी0 सहित)
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार सिंह)
अनु सचिव।